

मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/2012/2149/2019/58/

भोपाल दिनांक :- 26/12/19

प्रति,

आयुक्त सह संचालक,
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश में बाडी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम के मार्गदर्शी निर्देश में संशोधन।

-.000:-

राज्य शासन द्वारा इस विभाग के पत्र क्रमांक/2330/2376/2011/58 दिनांक 26.11.2011 के द्वारा बाडी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम के कण्डिका क्रमांक-4 में राशि रूपये 75/- का प्रमाणित सब्जी प्रति हितग्राही को निःशुल्क वर्ष 2012-13 से उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये थे। उक्त कण्डिका में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. कण्डिका क्रमांक-4 में निर्धारित राशि रूपये 75/- के स्थान पर राशि रूपये 125/- का प्रमाणित सब्जी बीज प्रति हितग्राही को निःशुल्क वर्ष 2020-21 से उपलब्ध कराया जायेगा।
2. इसके साथ ही उक्त योजना के अंतर्गत प्रमाणित सब्जी बीज के साथ-साथ निम्नानुसार राशि के पौधे प्रति हितग्राही को निःशुल्क वर्ष 2020-21 से उपलब्ध कराया जायेगा:-

अ- नींबू (बीजू) राशि रूपये	15/-
ब- मुंनगा (संकर) राशि रूपये	10/-
स- पपीता राशि रूपये	20/-
द- अमरूद (कलमी) राशि रूपये	34/-
ई- आंवला (कलमी) राशि रूपये	30/-
योग पौधे	109/- रूपये


3. पैकिंग, परिवहन, स्टेशनरी एवं अन्य व्यय राशि रूपये 16/-
कुलयोग (1+2+3) 250/- रूपये
शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(वर्षा भूरिया)

उप सचिव

मध्यप्रदेश.. शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग



11211

क्रमांक/2003/2149/2019/58/

भोपाल दिनांक :- 20/12/19

प्रतिलिपि:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग भोपाल।
3. प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मालवीय नगर भोपाल।
4. संभागायुक्त संभाग
5. समस्त कलेक्टर जिला
6. संयुक्त संचालक उद्यान संभाग।
7. उप/सहायक संचालक उद्यान जिला समस्त।
8. वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखण्ड जिला



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग